



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277282
CG-DL-E-19102026-277282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]
No.634]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018 (ई-3270).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (जी) के साथ पठित धारा 11 के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में—

(क) विनियम 3 में दी गई तालिका में, क्रम संख्या 3 में, “500 किलोमीटर से अधिक लंबी ट्रंक लाइनें” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:—

3	समर्पित पाइपलाइन प्रसंस्करण शुल्क पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 तथा पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के विनियम 19 के तहत सीबीजी स्रोत से टाई-इन कनेक्टिविटी: 50 किलोमीटर के भीतर स्थित पाइपलाइन से अथवा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सामान्य वाहक/अनुबंध वाहक) के निकट स्थापित डीकंप्रेसिंग यूनिट (डीसीयू) के माध्यम से कनेक्टिविटी	प्रत्येक अनुरोध के लिए ₹5,00,000 प्रसंस्करण शुल्क प्रत्येक अनुरोध के लिए ₹1,00,000 का प्रसंस्करण शुल्क
---	--	--

(ख) विनियम 3 में दी गई तालिका में, क्रम संख्या 13 के बाद, टिप्पणी के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

14	पीबीजी में कटौती (प्रति अनुरोध)	
	₹10 करोड़ तक की पीबीजी राशि	₹ 1,00,000
	₹10 करोड़ से अधिक और ₹100 करोड़ तक	₹ 5,00,000
	₹100 करोड़ से अधिक	₹ 10,00,000
टिप्पणी: इकाई द्वारा पीबीजी में कटौती के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक अनुरोध हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। यदि सत्यापन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि पीबीजी की राशि में कटौती नहीं की जाएगी, तो इकाई द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।		
15	एनजीपीएल और पीपीपीएल परियोजनाओं की परियोजना पूर्णता समय-सारणी के विस्तार हेतु शुल्क (चौथे विस्तार अनुरोध के आवेदन से आगे लागू)	प्रति अनुरोध ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये)।

(ग) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ए) में दी गई तालिका के प्रथम कॉलम में, “भारत की 2011 की जनगणना” शब्दों के स्थान पर “भारत की नवीनतम जनगणना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) में दी गई तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(a) संचालन प्रारंभ होने से पूर्व:	
(i) 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली	प्रत्येक पाइपलाइन के लिए ₹5,00,000 प्रत्येक पाइपलाइन के लिए ₹1,00,000
(ii) 50 किलोमीटर तक की लंबाई वाली	
(b) परिचालन शुरू होने के पश्चात्:	
(i) 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली	प्रत्येक पाइपलाइन के लिए ₹5,00,000 अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के राजस्व का 0.02% (करों को छोड़कर), जो वित्त वर्ष से ठीक पहले का है, जिसके लिए अन्य शुल्क अर्जित किए जा रहे हैं, जो भी अधिक हों। प्रत्येक पाइपलाइन के लिए ₹1,00,000 या पूर्व वित्तीय वर्ष के राजस्व का 0.02% (करों को छोड़कर) जो वित्त वर्ष से ठीक पहले का है, जिसके लिए अन्य शुल्क अर्जित किए जा रहे हैं, जो भी अधिक हों।
(ii) 50 किलोमीटर तक की लंबाई वाली	
टिप्पणी: प्रथम वर्ष के मामले में जहां पूर्व वित्तीय वर्ष का राजस्व उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में अन्य शुल्क प्रभार प्रथम वर्ष के अनुमानित राजस्व के आधार पर लगाए जाएंगे। तत्पश्चात्, भुगतान की गई राशि और देय राशि के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान करते समय समायोजित किया जाएगा।	

(ड) विनियम 4 के उप-विनियम (2) में, खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
“(सी) स्थापनाओं के लिए

परिसंपत्तियों का विवरण	अन्य शुल्क प्रभार (प्रति प्रस्थापना, प्रति वित्तीय वर्ष रुपये में)
एलएनजी टर्मिनल	5,00,000
लपीजी बॉटलिंग प्लांट	2,00,000
पेट्रोलियम तेल एवं स्नेहक प्रतिष्ठान	2,00,000
रिफाइनरियां/तेल शोधनशालाएं	5,00,000
गैस प्रसंस्करण इकाई	3,00,000

(च) विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“6. चूक और उसके परिणाम

- (1) प्रत्येक इकाई विनियमों के तहत आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करके इन विनियमों के सुचारु संचालन की सुविधा प्रदान करेगी।
- (2) इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन और/या अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, कोई अधिकृत इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008

के विनियम 16, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 16 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के विनियम 16 के अंतर्गत चूककर्ता इकाई मानी जाएगी तथा संबंधित लागू विनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के अधीन होगी।

बशर्ते कि उप-विनियम (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 'बोर्ड' अधिनियम की धारा 28 के तहत सिविल दंड भी अधिरोपित कर सकता है, इसके अतिरिक्त अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराधों और दंड के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

(3) किसी इकाई द्वारा किसी प्रकार की चूक और/या अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, जो इस विनियम के उप-विनियम (2) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसी इकाई पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 28 के अनुरूप सिविल दंड अधिरोपित किए जाने और/या संचालन के निलंबन/समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होगी:—

- (ए) बोर्ड संस्था को एक सूचना जारी करेगा, जिसके तहत उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (बी) यदि इकाई ऐसी चूक और/या अनुपालन न किए जाने के संबंध में उचित कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो बोर्ड, ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इकाई पर लागू होने वाले किसी अन्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी इकाई प्रत्येक उल्लंघन के लिए सिविल दंड के रूप में एक करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करेगी और यदि उल्लंघन/अनुपालन न करना जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपये तक का अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है।
- (सी) यदि इकाई खंड (ख) के तहत बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराधों और दंड के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।
- (4) उप-विनियम (2) से (3) के प्रयोजन हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दंड का अधिरोपण इकाई को इन विनियमों के तहत लागू किसी अन्य शुल्क या अधिभार का भुगतान करने से मुक्त नहीं करेगा।
- (छ) वर्तमान विनियम 6 को विनियम 7 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।
- (ज) वर्तमान विनियम 7 को विनियम 8 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।
- (झ) इन विनियमों के प्रारूप-1 में "भारत की 2011 की जनगणना" शब्दों के स्थान पर "भारत की नवीनतम जनगणना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./403/2026-27]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 26 नवंबर, 2007 को जी.एस.आर. 732 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 7 जून, 2010 को जी.एस.आर. 477(ई) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 जून, 2013 को फा. सं. विधि/50/2013 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 जनवरी, 2019 को फा. सं. पीएनजीआरबी/एफ एंड सी/संशोधन पीएनजीआरबी विनियम के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 मई, 2020 को फा. सं पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 29 सितंबर, 2020 को फा. सं पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-836) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 सितंबर, 2021 को संख्या. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018(पी-3270) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 2 अगस्त, 2022 को संख्या.पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-3264) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2025, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 जुलाई, 2025 को पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-3264) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

No. PNGRB/Fin/8-OC (2)/2018 (E-3270).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely: —

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, -

- (a) in regulation 3, in table, in s.no.3, after the words “Trunk lines more than 500 Kilometers” the following shall be inserted, namely:-

3	Dedicated pipeline processing fee: under regulation 19 of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 and PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 Tie in connectivity from CBG source from pipeline within 50 KM or Decompressing unit (DCU) near the natural gas pipeline (Common Carrier/Contract Carrier)	Rs. 5,00,000 as processing fee for each request Rs. 1,00,000 as processing fee for each request
---	--	---

- (b) in regulation 3, in table, after s. no.13, after note, the following shall be inserted, namely:-

14	PBG Reduction (Per request)	
	PBG Value Upto Rs. 10 crore	Rs. 1,00,000
	More than Rs. 10 crore up to Rs. 100 crore	Rs. 5,00,000
	More than Rs.100 crore	Rs. 10,00,000
Note: Entity shall submit the per request fee along with application for PBG reduction. In case, after verification, it is concluded not to reduce the PBG amount, the fee shall not be refunded to entity because due process of verification has been carried out.		

15	Fee for time extension of project completion schedule of NGPL and PPPL Projects (Applicable from application for 4th Extension Request onwards)	Rs.5,00,000 per request
----	---	-------------------------

- (c) in regulation 4, sub-regulation 2, clause (A), in first column of the table, the words “2011 Census of India” shall be substituted with the words, “Latest Census of India”.

- (d) in regulation 4, sub-regulation 2, clause (B), the table shall be substituted with the following, namely,-

(a) Before commencement of operations:	
(i) with a length of more than 50 Kilometers	Rs. 5,00,000 for each pipeline
(ii) with a length of upto 50 Kilometers	Rs. 1,00,000 for each pipeline
(b) After commencement of operations:	
(i) with a length of more than 50 Kilometers	Rs. 5,00,000 for each pipeline or 0.02% of the revenue (excluding taxes) of the previous Financial Year immediately preceding to the FY for which other charges are being accrued, whichever is higher.
(ii) with a length of upto 50 Kilometers	Rs. 1,00,000 for each pipeline or 0.02% of the revenue (excluding taxes) of the previous Financial Year immediately preceding to the FY for which other charges are being accrued, whichever is higher.

Note: In case of First year where no previous Financial Year revenue is available, other charges shall be levied on the projected revenue of the first year and subsequently Difference of amount paid and payable shall be adjusted at the time of making payment for the next financial year.

(e) in regulation 4, sub-regulation 2, after clause (B), the following shall be inserted, namely, -

“(C) For Installations

Assets Details	Other Charges (Rs. Per installations per Financial Year)
LNG Terminal	5,00,000
LPG Bottling Plant	2,00,000
Petroleum Oil & Lubricants Installation	2,00,000
Refineries	5,00,000
Gas Processing Unit	3,00,000

(f) after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely, -

“6. Default and consequences. -

- (1) Every entity shall facilitate the smooth conduct of these regulations by ensuring meticulous adherence to the requirements under the regulations.
- (2) In the event of any default and/or non-compliance of these regulations, an authorized entity shall qualify as defaulting entity under the Regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, Regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, Regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, and shall be governed by the procedure mentioned under the applicable regulation.

Provided that without prejudice to sub-regulation (2), the Board may also levy civil penalty under section 28 of the Act in addition to taking action as provided for offences and punishment under Chapter IX of the Act.

- (3) In the event of any default and/or non-compliance by an entity, not subject to sub-regulation (2) of this regulation, the entity shall be liable to face the imposition of civil penalty in line with Section 28 of the PNGRB Act, 2006, and/or suspension/termination of operation, as per following procedure:
 - (a) The Board shall issue a notice to the entity, providing it an opportunity of being heard.
 - (b) In case the entity fails to provide reasonable justification for such default and/or non-compliance, the Board may, after giving such entity an opportunity of being heard, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty which the entity may be liable for, such entity shall pay, by way of civil penalty, an amount which shall not exceed one crore rupees for each contravention, and in case of a continuing failure, additional penalty which may extend to ten lakh rupees for every day.
 - (c) If the entity fails to comply with the directions passed by the Board, as provided in clause (b), the Board may take appropriate action as prescribed for offences and punishment under Chapter IX of the Act.
- (4) For the purpose of sub-regulation (2) to (3), it is clarified that imposition of any penalty shall not absolve entity from paying any other charges or surcharge as applicable under these regulations.”

- (g) the existing regulation 6, shall be renumbered as regulation 7.
- (h) the existing regulation 7, shall be renumbered as regulation 8.
- (i) in Form-I of the regulation, the words “2011 Census of India” shall be substituted with the words, “Latest Census of India”.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./403/2026-27]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 26th November, 2007, vide G.S.R. 732 (E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 7th June, 2010, vide G.S.R. 477(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 21st June, 2013, vide F. No. Legal/50/2013.
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 8th January, 2019, vide F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations.
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 14th May, 2020, vide F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018.
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 29th September, 2020, vide F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836).
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 8th September, 2021, vide No. PNGRB/Fin/8-OC(2)/2018(P-3270).
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 2nd August, 2022, vide No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-3264).
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2025, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th July, 2025, vide PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-3264).